1830/19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

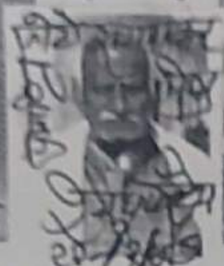

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 368556

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
ARMED FORCES FLAG DAY

लीज डीड

स्थित मौजा– पड़ेला लीज अवधि –30 वर्ष

सरकारी मालियत – 180000/– रुपया स्टाम्प – 4010/– रुपया

हम कि पं0 राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय ग्राम–पड़ेला, तहसील–कादीपुर, परगना–अल्देमऊ, जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0) द्वारा प्रबन्धक रमाशंकर मिश्र पुत्र स्व0 राम चरित्र मिश्र नि0 ग्राम–पड़ेला, तहसील–कादीपुर, परगना– अल्देमऊ, जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0) प्रथम पक्ष लीज पर देने वाले मो0 नं0– 9415879178 आई0डी0 नं0–317705552672 व पं0रामचरित्र मिश्र महाविद्यालय शिक्षण संस्थान ग्राम–पड़ेला, तहसील–कादीपुर, परगना–अल्देमऊ, जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0) द्वारा प्रबन्धक रमाशंकर मिश्र पुत्र स्व0 राम चरित्र मिश्र नि0 ग्राम–पड़ेला, तहसील–कादीपुर, परगना–अल्देमऊ, जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0) द्वितीय पक्ष लीज पर लेने वाले मो0 नं0– 9415879178 आई0डी0 नं0–317705552672 जो कि प्रथम की जगह स्थित मौजा ग्राम–पड़ेला, तहसील–कादीपुर, परगना–अल्देमऊ, जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0) के तनहा मालिक व काबिज व दखील है। कि जिसमें गुज्र प्रथम पक्ष

रमाशंकर मिश्र रमाशंकर मिश्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 369671

का कोई साझीदार भागीदार नही है। चूँकि एक किता जगह जिसमें भवन निर्मित है तथा आगे शेष जगह खाली है जिसमे हैण्डपम्प व सबमर्सिवल लगा है। जिसको मुझ प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिनांक : 03.04.2019 से 03.04.2049 तक 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया जा रहा है, यह लीज डीड हम दोनो पक्षों ने निम्न शर्तों के तहत पाबन्द होते हुए तहरीर कर दी कि जिसकी शर्तो की पाबन्दी दोनों पक्षों व हमारे वारिसान पर समान रुप से लागू होगी।

1– यह लीज डीड की अवधि आज से आरम्भ होकर अग्रिम 30 वर्ष (दिनांक : 03.04.2019 से 03.04.2049) तक रहेगी और कब्जा व दखल जगह लीजशुदा पर द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है। एवं 30 वर्ष का लाभांस मु0 180000/– रु0 एक मुस्त प्राप्त कर लिया है।

रमाशंकर मिश्र

रमाशंकर मिश्र

Scanned with CamScanner

3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 367166

2– यह किरायेदारी आज से आरम्भ होकर 30 वर्ष तक रहेगी और वावत किरायेदारी के कब्जा व दखल जगह किराये शुदा पर द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है।

3– यह कि द्वितीय पक्ष पं0 राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय शिक्षण संस्थान ग्राम– पड़ेला, तहसील– कादीपुर, परगना– अल्देमऊ, जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0) द्वारा प्रबन्धक रमाशंकर मिश्र पुत्र स्व0 राम चरित्र मिश्र नि0 ग्राम– पड़ेला, तहसील– कादीपुर, परगना– अल्देमऊ, जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0) चलाने समस्त कार्यवाही पूरी कर शैक्षणिक संस्थान से सम्बन्धित लीज शुदा जगह शैक्षणिक संस्थान के कार्यों में ही प्रयोग कर सकेगा।

4– यह कि द्वितीय पक्ष बिजली कनेक्शन व टेलीफोन कनेक्शन अपने खर्चे से लेगा।

5– यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त जगह पर अपनी सुविधा अनुसार स्थाई व अस्थाई निर्माण कर सकेगा।

6– यह कि यह लीजडीड 30 वर्ष के पहले खण्डित नही की जायेगी।

रमाशंकर मिश्र   रमाशंकर मिश्र

Scanned with CamScanner

नं 9/1000 211.नं 7

आवेदन सं०: 2019009[illegible]

[illegible]
22.2.19

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: सजय कुमार तिवारी वर्ष: 2019

स्टाम्प विक्रेता [illegible] [illegible]

कादीपुर सुलतानपुर

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री रमाशंकर मिश्र, पुत्र श्री रामचरित्र मिश्र
निवासी: ग्राम पडेला पर0 अल्देमऊ तह0 कादीपुर जि0 सुलतानपुर
व्यवसाय: कृषि

रमाशंकर मिश्र

पट्टा गृहीता: 1

श्री प्रबन्धक रमाशंकर मिश्र, पुत्र श्री राम चरित्र मिश्र
निवासी: ग्राम पडेला पर0 अल्देमऊ तह0 कादीपुर जि0 सुलतानपुर
व्यवसाय: कृषि

रमाशंकर मिश्र

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नन्दलाल यादव, पुत्र श्री रामबली यादव
निवासी: ग्राम सैदपुर कला तह0 कादीपुर जि0 सुलतानपुर
व्यवसाय: कृषि

[illegible]

पहचानकर्ता : 2

श्री योगेन्द्र तिवारी, पुत्र श्री श्रीनारायण तिवारी
निवासी: ग्राम कोटिया तह0 कादीपुर जि0 सुलतानपुर
व्यवसाय: कृषि

[illegible]

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राज बहादुर (प्रभारी)
उप निबंधक : कादीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 368559

विवरण–

तय शुदा जगह मौजा ग्राम–पड़ेला, तहसील–कादीपुर, परगना–अल्देमऊ, जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0) जिसका गाटा सं0 429 मि0 एवं खाता सं0 77 क्षेत्रफल (1.005 हे0) 10050 वर्ग मी0 है चौहद्दी– उत्तर– खेत बाबूलाल आदि, दक्षिण– पं0 राम चरित्र मिश्र आई0टी0आई0, पूरब– 20 फिट चौड़ा मार्ग एवं पश्चिम– खेत निकऊ चमार आदि व फूला कहाइन। भूमि धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत गाटा सं0 429 मि0 एवं खाता सं0 77 क्षेत्रफल (1.005 हे0) 10050 वर्ग मी0 आबादी घोषित हो चुकी है। यह कि चूँकि आराजी लीज शुदा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है लिहाजा स्टाम्प 2 प्रतिशत की दर से 3600/– रुपये का अदा किया जाता है अतः यह लीज डीड हम दोनों पक्षों ने अपनी पूर्ण स्वेच्छा तथा सद्भावना से स्वच्छ चित्त व स्थिर बुद्धि की पूर्ण सचेत दशा में बिना किसी जोर व दबाव के, किसी नशीले पदार्थ का सेवन किये बिना राजी खुशी से स्वयं पढ़कर व पढ़वाकर सुनकर के लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे।

इति लेख दिनांक 03/04/2019 ई0।

मसविदाकर्ता – इन्द्रेश तिवारी, एडवोकेट इन्द्रेश तिवारी

रमाशंकर मिश्र

रमाशंकर मिश्र

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 599270

नोट– पृ0 सं0 4 की लाईन 14 में दिनांक गंदा है जो 03/04/2019 पढ़ा जाय।

साक्षी– 1:
नन्दलाल यादव पुत्र श्री राम बली यादव निवासी ग्राम–सैदपुर कला, तहसील–कादीपुर परगना–अल्देमऊ जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0)

नन्दलाल यादव

साक्षी– 1:
योगेन्द्र तिवारी पुत्र श्री नारायण तिवारी निवासी ग्राम–कोटिया, तहसील–कादीपुर, परगना–अल्देमऊ जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0)

योगे-तिवारी

(5)

रमाशंकर मिश्र

रमाशंकर मिश्र